कम्प्यूटर प्रिन्टर एवं फोटोकॉपी मशीन के टोनर रिफिलिंग व मरम्मत संबंधी तृतीय निविदा प्रपत्र

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सेक्टर–19, नवा रायपुर, पिन–492002

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से निविदा की इस अनुसूची में कम्प्यूटर प्रिंटर रिपेरिंग व टोनर रिफिलिंग व हेतु एक बोली प्रणाली के अंतर्गत मोहरबंद खुली तृतीय निविदा आमंत्रित करते हैं।
2. निविदा में सम्मिलित होने वाली फर्म का वार्षिक टर्नओवर राशि रू. (3,00,000/– रूपये तीन लाख मात्र) होना चाहिए।(विगत तीन वर्षो 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 में से किसी एक वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर हेतु अंकेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है)।
3. यह निविदा अहस्तांतरणीय हैं।
4. निविदा फार्मशुल्क– 250/– रू. (दो सौ पचास रूपए मात्र) अप्रतिदेय(non-refundable) बैंकड्राफ्ट (राज्य स्वास्थ्य समिति, छ.ग., रायपुर के पक्ष में देय) ।
5. निविदा प्रपत्र दिनांक 25/09/2023 से 05/10/2023 समय (11.30 बजे)तक, पूर्ण विवरण तथा निविदा दस्तावेज इत्यादि विभागीय वेबसाइट **www.cghealth.nic.in** एवं कार्यालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, तृतीय तल, स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर 19, नवा रायपुर कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है।
6. जिन प्रतिभागियों ने स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट www.cghealth.nic.in में निविदा सैट फार्म डाउनलोड किया है उन्हें निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा फार्म शुल्क के रूप में 250/–रू राशि **"State Health society Non NRHM- Fund A/C"** के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी। बिना शुल्क के प्रस्तुत किए गए निविदा दस्तावेज अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।
7. पूर्णतः भरे हुए निविदा फार्म दिनांक 05/10/2023 को समय 02:30 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा तथा प्राप्त समस्त निविदा दिनांक 05/10/2023 को समय 03:00 बजे विभागीय क्रय समिति द्वारा खोली जाएगी। अतिआवश्यक होने की स्थिति में जमाकर्ता फर्म को सूचित करते हुए तिथि परिवर्तित की जा सकती है।
8. निविदा जमाकर्ता द्वारा प्रस्तावित दर रूपये में व स्पष्ट रूप से "परिशिष्ट–अ" में अंकित किया जावे। कांट–छांट वाले दस्तावेज निरस्त कर दिये जावेंगें।
9. निविदा जमाकर्ता की फर्म का व्यापार पंजीयन एवं GST No. तथा विगत तीन वर्षो(2020–21, 2021–22 एवं 2022–23) में से किसी एक वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर(उपलब्धतानुसार) की आयकर विवरणी की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
10. निविदा जमाकर्ता फर्म/संस्था/अन्य, "राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपात्र (Black Listed) सूचीबद्ध नहीं है" संबंधी शपथ पत्र/घोषणा पत्र 50/–रू. के स्टाम्प पेपर में संलग्न प्रारूप अनुसार दिया जाना अनिवार्य होगा।(परिशिष्ट–'ब' देखें)। शपथ पत्र के अभाव में निविदा अस्वीकृत किया जा सकता है। **नोटः**– पूर्व में निविदा प्रकिया में सम्मिलित फर्म द्वारा यदि तृतीय निविदा में पुनः भाग लिया जाता है तो ऐसी फर्म पृथक से घोषणा पत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगा।
11. निविदा पूर्ण भरे जाने के उपरांत चेकलिस्ट परिशिष्ट–'स' से पुनः जांच करें।
12. निविदा के साथ संलग्न परिशिष्ट– अ, ब एवं स की पूर्ति किये जाने वाले फर्म ही निविदा हेतु योग्य माना जावेगा।
13. निविदाकर्ता फर्मे निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रहने के लिए किसी प्रतिनिधि को प्राधिकृत कर सकती हैं। प्रतिनिधि को उस फर्म से प्राधिकार पत्र लाना होगा जिसे निविदा खोलते समय उपस्थित रहना है। निविदा के लिए गठित समिति द्वारा प्राप्त निविदा खोली जाएगी। निविदाकर्ता को प्राधिकृत प्रतिनिधि की अनुपस्थिति होने की स्थिति में निविदा खोले जाने का पूर्ण अधिकार होगा तथा किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
14. निविदा के साथ **"State Health society Non NRHM- Fund A/C"** के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक के निविदा अवधि की तिथि का बैंक ड्राफ्ट राशि रू. 5000/– (रूपये पांच हजार मात्र) अमानतराशि (ई.एम.डी.) के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. निविदा फार्म में सामग्री की गुणवत्ता व L-1न्यूनतम राशि के आधार पर फर्म का चयन किया जावेगा। वित्तीय पत्रक में प्रस्तावित दर भाग–"अ" एवं भाग–"ब" हेतु पृथक–पृथक फर्म का चयन किया जा सकता है।
16. निविदा जमाकर्ता फर्म का रायपुर स्थित स्थानीय कार्यालय/शाखा/फर्म होना अनिवार्य होगा। रायपुर में फर्म का स्थानीय कार्यालय/शाखा नहीं होने पर निविदा हेतु अयोग्य माना जाएगा।

कमश.....

17. कार्यालय से दूरी, समयानुसार उपलब्धता व आवश्यकतानुसार अतिशीघ्र कार्य कराये जाने को दृष्टिगत रखते हुए एक या एक से अधिक फर्म का चयन किया जा सकता है परंतु ऐसी स्थिति में न्यूनतम पाये गये दर अनुसार ही कार्य दिये जावेंगें तथा कार्यालय स्वतंत्र होगा कि आवश्यकतानुसार न्यूनतम दर पाये गये L-2 फर्म से भी न्यूनतम दर पर कार्य कराया जा सकें इस हेतु किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
18. उक्त रिफिलिंग व अन्य कार्य हेतु चयनित फर्म को अपना प्रतिनिधि/तकनीकी कर्मचारी आवश्यकतानुसार प्रत्येक सप्ताह में एक बार कार्यालय में भेजकर प्रिंटर व टोनर की जांच कराया जाना अनिवार्य होगा। फर्म के प्रतिनिधि/तकनिशियन द्वारा आवश्यकतानुसार साप्ताहिक जांच नहीं कराये जाने की दशा में कार्यादेश निरस्त किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वतंत्र होगा जिस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
19. उक्त रिफिलिंग व अन्य संबंधित कार्य हेतु चयनित फर्म को अपना प्रतिनिधि कार्यालय में भेजकर समस्त मरम्मत कार्य कराया जाना होगा, प्रिंटर अथवा अन्य सामग्री कार्यालय द्वारा फर्म के कार्यस्थल में नही भेजी जावेगी। फर्म के प्रतिनिधि को किसी भी प्रकार का परिवहन शुल्क/यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।
20. विशेष परिस्थिति में कार्यालय से सामग्री ले जाने हेतु स्टोर प्रभारी/सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरांत सामग्री रिपेंरिंग हेतु कार्यालय से बाहर भेजा जावेगा।
21. निविदा में उल्लेखित कार्य हेतु प्रेषित प्रस्तावित दर समस्त कर सहित अंकित किया जावें। पृथक से किसी भी प्रकार का कर का भुगतान कार्यालय द्वारा नही किया जावेगा तथा प्रत्येक कर के भुगतान की जिम्मेदारी चयनित फर्म की होगी। नियमानुसार स्त्रोत पर कर की कटौती की जावेगी।
22. सामग्री/सेवा पूर्ति हेतु उक्त निविदा स्वीकृति तिथि से (एक वर्ष अथवा आगामी निविदा स्वीकृति की तिथि तक, जो भी पहले हो) की अवधि के लिए के लिये मान्य होगी। कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में दोनो पक्षकारों के सहमति की दशा में सक्षम अधिकारी से से अनुमोदन उपरांत निविदा अवधि आगामी अधिकतम तीन(03) वर्ष हेतु वृद्धि किया जा सकता है। अनुबंध नवीनीकरण की स्थिति बाजार मूल्य वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए, विगत वर्ष में स्वीकृत निविदा दर में अधिकतम 10% की वृद्धि की जा सकेगी।

22/09/2023
संयुक्त संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
छत्तीसगढ़